लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल–462021
दूरभाष 0755–2583650 ई–मेल est1-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/पी.ए./आयुक्त/2018/102 भोपाल, दिनांक 18/06/2018

प्रति,

1. **संभागीय संयुक्त संचालक (समस्त)**
   लोक शिक्षण, म.प्र.।
2. **जिला शिक्षा अधिकारी (समस्त)**
   मध्यप्रदेश।

विषयः–बिना अनुमति प्राप्त किए संचालनालय में उपस्थित होने के संबंध में।

––0––

यह देखा जा रहा है कि प्रायः प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक, वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक, आदि सक्षम अधिकारी से अवकाश/अनुमति प्राप्त किए बिना व्यक्तिगत कार्य से संचालनालय में उपस्थित होते है। 15 जून, 2018 से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है, ऐसे में बिना अनुमति के संस्था से अनुपस्थित होने से छात्रों का शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है, जो उचित नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि, कोई भी शासकीय सेवक/स्थानीय निकाय के अध्यापक संवर्ग द्वारा सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना कर्त्तव्य से अनुपस्थित नहीं होगा तथा यदि अवकाश/अनुमति स्वीकृति प्राप्त किए बगैर व्यक्तिगत कार्य से संचालनालय/वरिष्ठ कार्यालय में उपस्थित होता है, तो संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

18/6/18
(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/पी.ए./आयुक्त/2018/103 भोपाल, दिनांक 18/06/2018

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी/ माननीय राज्यमंत्री जी, स्कूल शिक्षा
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. कलेक्टर(समस्त), म.प्र.
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत(समस्त), म.प्र.
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(समस्त), म.प्र.

की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

c:\users\hp 1\desktop\instruction.docx